

प्रेसनोट
थाना ककरवई जनपद झाँसी

दिनांक- 16.07.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- माननीय न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना ककरवई पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम., गरौठा, जनपद झाँसी से जारी गिरफ्तारी वारंट का सफलतापूर्वक अनुपालन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना ककरवई पुलिस ने केस संख्या 2302/25, अपराध संख्या 25/25, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम से संबंधित वारण्टी श्रीमती आरती पत्नी राजाराम, निवासी मलकाई कबूतरा डेरा, ग्राम व थाना ककरवई, जनपद झाँसी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार वारंटी-

1. श्रीमती आरती पत्नी राजाराम निवासी मलकाई कबूतरा डेरा, ग्राम व थाना ककरवई, जनपद झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विजय शंकर मिश्रा, थाना ककरवई, जनपद झाँसी।
2. महिला आरक्षी कीर्ती शर्मा, थाना ककरवई, जनपद झाँसी।